ध्येय IAS
most trusted since 2003

DAILY prePARE
Current affairs summary for prelims

22 October 2024

भारत–भूटान संबंधः जलविद्युत सहयोग और भू–राजनीतिक जटिलताएँ

सन्दर्भः हाल ही में भूटान और भारत के अधिकारियों ने पुना-1 हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर (HEP) परियोजना पर सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण बैठक की जिसका मुख्य लक्ष्य ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना था। बैठक में पुना-2 परियोजना के लिए टैरिफ को अंतिम रूप देने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें इन पहलों की आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के प्रयासों को प्रमुखता दी गई।

- इस दौरान दोनों पक्षों ने ऊर्जा उत्पादन में भविष्य के सहयोग के लिए संभावनाओं की खोज की और इस क्षेत्र में एक मजबूत साझेदारी बनाए रखने के महत्व को रेखांकित किया। भारत ने भूटान में जलविद्युत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए इस बात पर जोर दिया कि ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि आपसी समृद्धि में योगदान करती है।

भारत के लिए भूटान का महत्वः

- भारत ने भूटान के साथ ऐतिहासिक रूप से सहयोग को बढ़ावा दिया है, विशेषकर सीमा प्रबंधन और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों के समाधान के माध्यम से। भूटान, अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण, भारत और चीन के बीच एक महत्वपूर्ण बफर राज्य के रूप में कार्य करता है।
- भूटान, उत्तर में चीन और दक्षिण में भारत के बीच स्थित है और इसकी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के निकटता के कारण विशेष अहमियत है। यह कॉरिडोर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ता है।
- यह गलियारा सैन्य और आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिससे भूटान का सहयोग भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी हो जाता है।
- भारत की सैन्य भागीदारी, जिसमें रॉयल भूटान आर्मी को प्रशिक्षण देना शामिल है, भूटान की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करती है। इसके अलावा, भारत ने भूटान को आवश्यक कूटनीतिक समर्थन प्रदान किया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसकी संप्रभुता सुनिश्चित हुई है।

जलविद्युत सहयोगः

- जलविद्युत सहयोग भारत-भूटान आर्थिक संबंधों की रीढ़ है, जो भूटान की विशाल जलविद्युत क्षमता का दोहन करता है।
- भूटान में भारत की प्रमुख जलविद्युत परियोजनाएँ, जैसे ताला, चुखा और मंगदेछु, भारत को नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति करती हैं और साथ ही भूटान की अर्थव्यवस्था को भी महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देती हैं।
- जलविद्युत निर्यात भूटान के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा है, जिससे यह दक्षिण एशिया में उच्चतम प्रति व्यक्ति आय वाले देशों में से एक बनता है।
- मंगदेछु जैसी परियोजनाओं की सफलता के बावजूद, चुनौतियाँ बनी हुई हैं। भारत को बिजली खरीद नीतियों, टैरिफ वार्ताओं और पुनात्सांगछू I और II जैसी परियोजनाओं में देरी से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे इस सहयोग की गति और प्रभावशीलता प्रभावित हो रही है।

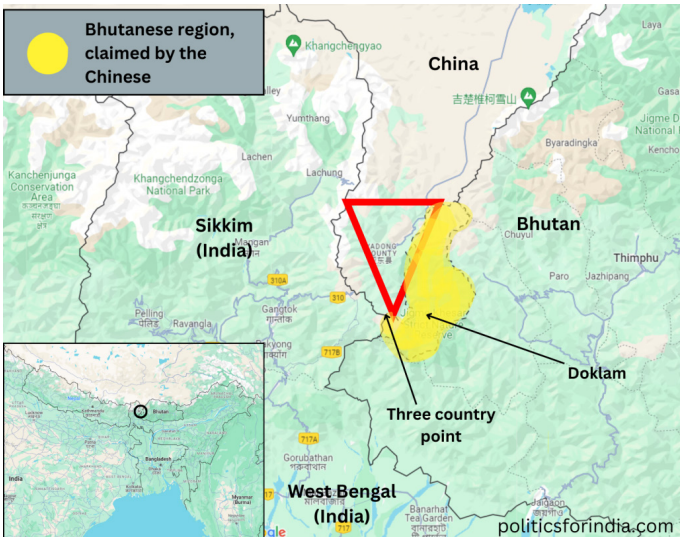

भारत–भूटान संबंधों में प्रमुख चुनौतियाँः

यद्यपि भारत-भूटान संबंध मजबूत सहयोग पर आधारित हैं, फिर भी कई चुनौतियाँ इस साझेदारी को प्रभावित करती हैं:

- **वित्तीय बोझ में वृद्धिः** भूटान को वित्तीय तनाव का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि भारत ने 60:40 वित्तपोषण मॉडल (60% अनुदान, 40% ऋण) को 30:70 मॉडल में बदल दिया है। इस बदलाव ने भूटान के वित्तीय बोझ को बढ़ा दिया है, जिससे विकास परियोजनाओं को शुरू करने की उसकी क्षमता प्रभावित हुई है।
- **चीन की मौजूदगीः** भूटान का चीन के साथ सीमा विवाद, विशेष तौर पर डोकलाम जैसे क्षेत्रों में, भारत के लिए सुरक्षा संबंधी चिंताएँ बढ़ाता है। क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता भारत के प्रभाव को चुनौती देती है और भू-राजनीतिक गतिशीलता को जटिल बनाती है।
- **बीबीआईएन पहल में गतिरोधः** क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के लिए बनाया गया बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल (बीबीआईएन) मोटर वाहन समझौता भूटान की पर्यावरणीय चिंताओं के कारण रुका हुआ है, जिससे परिवहन और आर्थिक एकीकरण पर सहयोग में देरी हो रही है।
- **उग्रवादियों के लिए पनाहगाहः** भारत के पूर्वोत्तर उग्रवादी समूह, जैसे कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोस (एनडीएफबी), भूटान को पनाहगाह के रूप में इस्तेमाल करते रहे हैं, जिससे भारत के लिए सुरक्षा चुनौतियाँ उत्पन्न हुई हैं और द्विपक्षीय संबंध जटिल हो गए हैं।

निष्कर्षः

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029

भारत-भूटान संबंधों में लगातार चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही हैं, विशेष रूप से चीन के बढ़ते क्षेत्रीय प्रभाव के कारण। इस साझेदारी को बनाए रखने और मजबूत करने के लिए भारत को क्षेत्रीय भू-राजनीति की जटिलताओं का समाधान करते हुए भूटान के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों का लाभ उठाते रहना चाहिए। सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और बुनियादी ढांचे के विकास के मुद्दों पर भूटान के साथ सक्रिय रूप से जुड़कर भारत दक्षिण एशिया में स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है, साथ ही क्षेत्र में अपने रणनीतिक हितों की सुरक्षा भी कर सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने बेनामी कानून के प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित करने वाला फैसला वापस लिया

संदर्भ: सुप्रीम कोर्ट की एक विशेष पीठ ने 23 अगस्त, 2022 के अपने फैसले को वापस ले लिया, जिसमें बेनामी संपत्ति कानून में किए गए प्रावधानों और संशोधनों को 'असंवैधानिक और स्पष्ट रूप से मनमाना' घोषित किया गया था।

- 2016 में पेश किए गए संशोधनों को पूर्वव्यापी रूप से लागू किया गया था और किसी व्यक्ति को तीन साल के लिए जेल भेजा जा सकता था। इसने केंद्र को बेनामी लेनदेन के अधीन षकिसी भी संपत्तिष को जब्त करने का अधिकार दिया था।
- इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने का निर्णय केंद्र सरकार और आयकर उपायुक्त (बेनामी निषेध) द्वारा दायर समीक्षा याचिकाओं पर आधारित था।

2022 सुप्रीम कोर्ट का फैसला:

- **फैसले का अवलोकन:** 2022 में एक ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने बेनामी लेनदेन अधिनियम में कुछ संशोधनों को असंवैधानिक घोषित करते हुए उन्हें रद्द कर दिया। इस फैसले में सरकार की संपत्तियों को जब्त करने और जुर्माना लगाने की व्यापक शक्तियों पर सवाल उठाया गया, जिसमें तर्क दिया गया कि इससे व्यक्तिगत अधिकारों और उचित प्रक्रिया का उल्लंघन होता है।

निर्णय के लिए कानूनी आधार:

- न्यायालय ने प्राधिकारियों की मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध सुरक्षा उपायों की पर्याप्तता के संबंध में चिंताओं पर प्रकाश डाला।
- इसने सबूत के बोझ और बेनामी लेनदेन में शामिल होने के आरोपी व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित मुद्दों को उठाया।

2022 के फैसले को वापस लेना:

- **हालिया घटनाक्रम:** एक आश्चर्यजनक मोड़ में, सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2022 के फैसले को वापस ले लिया है, जो बेनामी लेनदेन अधिनियम के प्रवर्तन के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ उठाता है।

रिकॉल के निहितार्थ:

- **प्रावधानों की बहाली:** रिकॉल प्रभावी रूप से उन संशोधनों को बहाल करता है जिन्हें असंवैधानिक माना गया था, जिससे अधिकारियों को बेनामी मामलों को और अधिक आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाने का अधिकार मिलता है।
- **कानूनी ढांचा:** यह बेनामी लेनदेन की जांच और मुकदमा चलाने के सरकार के प्रयासों के लिए कानूनी आधार को मजबूत करता है, इस प्रकार भ्रष्टाचार और वित्तीय कदाचार से निपटने में इसकी पहुंच का विस्तार करता है।

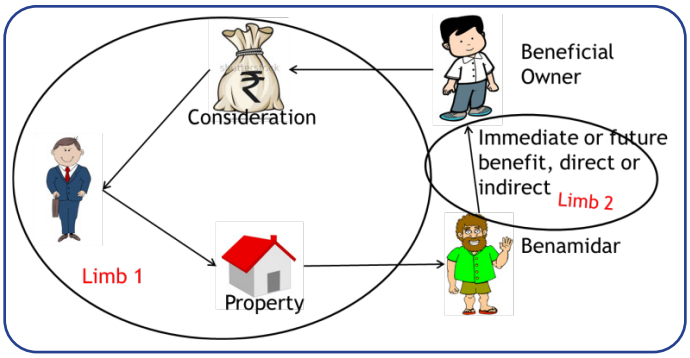

प्रवर्तन और जांच पर प्रभाव:

- **प्रवर्तन शक्तियों में वृद्धि:** रिकॉल के साथ, सरकार संदिग्ध बेनामी लेनदेन की जांच अधिक प्रभावी ढंग से कर सकती है। इसमें शामिल हो सकते हैं:
- **उच्च-मूल्य वाली संपत्तियों को लक्षित करना:** अधिकारी प्रॉक्सी के पीछे छिपे व्यक्तियों के स्वामित्व वाली संपत्तियों की पहचान करने के प्रयासों को तेज कर सकते हैं।
- **बढ़ी हुई जांच:** वित्तीय लेनदेन, विशेष रूप से रियल एस्टेट और बड़ी संपत्ति खरीद पर अधिक जांच लागू की जाएगी।
- **दुरुपयोग की संभावना:** हालांकि रिकॉल का उद्देश्य प्रवर्तन को मजबूत करना है, लेकिन अधिनियम के संभावित दुरुपयोग के बारे में चिंताएं हैं:
- **मनमाना जब्ती:** आलोचकों को डर है कि अधिकारी जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग कर सकते हैं, जिससे बिना पर्याप्त सबूत के अनुचित जब्ती हो सकती है।
- **संपत्ति के लेन-देन पर नकारात्मक प्रभाव:** अनिश्चितता वैध लेन-देन को रोक सकती है क्योंकि लोग अनुचित जांच से डरते हैं।

निष्कर्ष:

बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम पर 2022 के फैसले को वापस लेने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आर्थिक अपराधों के संबंध में भारत के कानूनी परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण क्षण है। जबकि इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार और अवैध वित्तीय गतिविधियों से निपटने के लिए सरकार की क्षमता को मजबूत करना है, यह व्यक्तिगत अधिकारों और सत्ता के दुरुपयोग की संभावना के बारे में महत्वपूर्ण सवाल भी उठाता है। जैसे-जैसे स्थिति विकसित होती है, हितधारक बारीकी से देखेंगे कि ये कानूनी और प्रवर्तन गतिशीलता व्यवहार में कैसे काम करती है।

बाल विवाह निषेध अधिनियम (पीसीएमए) को समान रूप से लागू करने से इनकार

संदर्भः हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बाल विवाह निषेध अधिनियम (पीसीएमए) को सभी धर्मों पर समान रूप से लागू करने से इनकार किया है। इस संदर्भ में, न्यायालय ने संसद की भूमिका को रेखांकित किया है, जोकि लंबित विधेयक के माध्यम से इस कानून को व्यक्तिगत कानूनों पर लागू करने का विचार कर रही है।

- न्यायालय ने नाबालिगों को बाल विवाह के खतरों से बचाने के लिए व्यापक और प्रभावी उपायों की तत्काल आवश्यकता पर भी जोर दिया है।

निर्णय का संदर्भः

- सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर आया है, जिसमें 18 वर्ष पहले बाल विवाह निषेध अधिनियम (पीसीएमए) के लागू होने के बावजूद भारत में बाल विवाह की जारी व्यापकता की ओर ध्यान आकर्षित किया गया था।

निर्णय के मुख्य बिंदुः

- **बाल सगाईः** न्यायालय ने संसद को सिफारिश की है कि वह बाल सगाई को गैरकानूनी घोषित करने की संभावनाओं की जांच करे। यह प्रथा अक्सर एक ऐसा उपाय बन जाती है, जिसके द्वारा व्यक्तियों को बाल विवाह निषेध अधिनियम (पीसीएमए) द्वारा निर्धारित दंड से बचने का अवसर मिलता है।
- **नाबालिगों की सुरक्षाः** निर्णय में नाबालिगों को बाल सगाई से बचाने के महत्व पर जोर दिया गया। अदालत ने नाबलिकों की पसंद की स्वतंत्रता, स्वायत्तता और अधिकारों को बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया।
- **अंतर्राष्ट्रीय कानूनः** न्यायाधीशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचों का संदर्भ दिया, जैसे कि महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन के लिए कन्वेंशन (सीईडीएडब्ल्यू), जो स्पष्ट रूप से नाबालिगों की सगाई पर प्रतिबंध लगाता है। यह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के बीच संरेखण की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
- **दंडात्मक दृष्टिकोणः** न्यायालय ने चेतावनी दी कि पीसीएमए के उल्लंघनों को संबोधित करते समय दंडात्मक दृष्टिकोण अंतिम उपाय होना चाहिए। इसके बजाय, इसने जागरूकता और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने वाले निवारक उपायों की वकालत की।

भारत में बाल विवाह के बारे में:

- **वर्तमान आँकड़ेः** 15 दिसंबर, 2023 को द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चलता है कि भारत में पाँच में से एक लड़की और छह में से एक लड़के की शादी कानूनी उम्र से कम उम्र में होती है। बाल विवाह का वर्तमान प्रचलन 23.3% है, जो 1.4 बिलियन से अधिक लोगों के देश में चिंताजनक है।

राज्यों में असमानताः

- आठ राज्यों में बाल विवाह की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है।
- **शीर्ष राज्यः** पश्चिम बंगाल, बिहार और त्रिपुरा सबसे आगे हैं, जहाँ 20-24 वर्ष की आयु की 40% से अधिक महिलाओं की शादी 18 वर्ष से पहले हो जाती है।

कानूनी ढांचे के बारे में:

भारत ने बच्चों को अधिकारों के उल्लंघन से बचाने के लिए विभिन्न कानून बनाए हैं, जिनमें शामिल हैं:

- **बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम (2006):**
  - 'बच्चे' की परिभाषा के अनुसार, 21 वर्ष से कम आयु का कोई भी पुरुष या 18 वर्ष से कम आयु की कोई भी महिला शामिल है।
  - वयस्क होने के दो वर्ष बाद तक बाल विवाह को रद्द करने की अनुमति देता है।
  - यह सुनिश्चित करता है कि बाल विवाह से उत्पन्न संतान को वैध माना जाए।
  - बच्चे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए हिरासत संबंधी निर्णय जिला न्यायालयों द्वारा लिए जाते हैं।
- **अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम (2006):**
  - बाल विवाह को रोकने के लिए, धर्म की परवाह किए बिना, सभी विवाहों का 10 दिनों के भीतर पंजीकरण अनिवार्य किया गया है।
- **कानूनी विवाह आयु की समीक्षा समिति (2020):**
  - जया जेटली के नेतृत्व में इस समिति की स्थापना लड़कियों की कानूनी विवाह आयु 21 वर्ष करने के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए की गई थी, जिसमें मातृ मृत्यु दर और महिला स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर विचार किया गया था।
- **बाल विवाह प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2021:**
  - महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रस्ताव।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

ध्येय IAS
most trusted since 2003

DAILY prePARE
Current affairs summary for prelims

22 October 2024

आगे की राहः

बाल विवाहों के प्रभावी निवारण हेतु विशेषज्ञों द्वारा सुधारों का प्रस्ताव रखा गया है। इनमें प्रमुख रूप से बाल विवाह निषेध अधिनियम (पीसीएमए) में संशोधन का सुझाव दिया गया है, ताकि व्यक्तिगत कानूनों पर इसके प्रभाव को स्पष्ट किया जा सके। इसके साथ ही, पीसीएमए के प्रावधानों के प्रति जमीनी स्तर पर जागरूकता फैलाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। बाल विवाहों की रोकथाम और नाबालिगों के अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न हितधारकों- जैसे गैर सरकारी संगठन, सामुदायिक नेता और सरकारी एजेंसियों के सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

पॉवर पैक्ड न्यूज

न्यूजीलैंड की महिला टीम ने 2024 टी20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता

- न्यूजीलैंड ने 20 अक्टूबर, 2024 को दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 32 रनों से हराकर अपना पहला महिला टी20 विश्व कप खिताब जीतकर इतिहास रच दिया।
- एमेलिया केर ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया, उन्होंने प्लेयर ऑफ द सीरीज और प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता। उनके हरफनमौला कौशल का प्रदर्शन देखने को मिला, क्योंकि उन्होंने कुल 135 रन बनाए और सीरीज में 15 विकेट लिए, जिससे न्यूजीलैंड की सफलता में उनका महत्वपूर्ण योगदान दिखा।
- फाइनल में, न्यूजीलैंड ने 158/5 का स्कोर बनाया। एमेलिया केर ने 38 गेंदों पर 43 रन का योगदान देते हुए और 24 रन देकर तीन विकेट लेते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 159 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका 126/9 पर सिमट गया।
- महिला टी20 विश्व कप के नौ संस्करण हो चुके हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया छह खिताबों के साथ सबसे आगे है, जबकि इंग्लैंड (2009), वेस्टइंडीज (2016) और अब न्यूजीलैंड (2024) ने भी जीत दर्ज की है।

दीपिका कुमारी

- हाल ही में, दीपिका कुमारी ने मेक्सिको के त्लाक्सकाला में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में महिला रिकर्व श्रेणी में रजत पदक हासिल किया है। यह उपलब्धि उनके असाधारण कौशल और खेल के प्रति समर्पण को दर्शाती है।
- महिलाओं की रिकर्व स्पर्धा में, पदक विजेता थे:
  - » स्वर्ण पदकः ली जियामन (चीन)
  - » रजत पदकः दीपिका कुमारी (भारत)
  - » कांस्य पदकः एलेजांद्रा वालेंसिया (मेक्सिको)
- भारत का रजत पदक देश का टूर्नामेंट में जीता गया एकमात्र पदक है। कोरिया ने तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2024 में पदक तालिका का नेतृत्व किया, जिसमें पुरुषों की रिकर्व स्पर्धा में दो पदक जीते, जबकि चीन, कोलंबिया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने विभिन्न श्रेणियों में एक-एक स्वर्ण पदक हासिल किया।

पुलिस स्मृति दिवस 2024

- राष्ट्र के लिए पुलिस कर्मियों की निष्ठा और सर्वोच्च बलिदान का सम्मान करने के लिए 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया।
- यह दिन 10 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) कर्मियों की शहादत की याद में मनाया जाता है, जिन पर 1959 में भारत-चीन सीमा पर गश्त के दौरान भारी हथियारों से लैस चीनी सैनिकों ने घात लगाकर हमला किया था। 1962 में, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) / पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी)

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

सम्मेलन ने इन बहादुर अधिकारियों को सम्मानित करने के लिए 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में स्थापित किया।

- 2018 में पुलिस स्मृति दिवस पर पीएम मोदी द्वारा राष्ट्रीय पुलिस स्मारक समर्पित किया गया जिसमे 30 फुट ऊंचा ग्रेनाइट मोनोलिथ, शहीदों के उत्कीर्ण नामों के साथ 'वीरता की दीवार' और एक संग्रहालय है।

भारत-ओमान द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास: नसीम-अल-बहर 2024

- हाल ही में भारत-ओमान नौसैनिक अभ्यास नसीम-अल-बहर, 13-18 अक्टूबर, 2024 को आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय नौसेना के INS त्रिकंद और डोर्नियर समुद्री गश्ती विमान के साथ-साथ ओमान के पोत RNOV अल सीब ने भाग लिया।

- यह अभ्यास दो चरणों में हुआ:
  - » बंदरगाह (13-15 अक्टूबर)
  - » समुद्र (16-18 अक्टूबर) - गोवा के तट पर।
- इस अभ्यास में समुद्र में, दोनों नौसेनाओं ने गन फायरिंग, विमान-रोधी अभ्यास और सामरिक युद्धाभ्यास और क्रॉस-डेक हेलीकॉप्टर संचालन किया।
- भारतीय नौसेना के डोर्नियर विमान ने परिचालन प्रभावशीलता में सुधार के लिए ओवर-द-होराइजन टारगेटिंग (OTHT) डेटा प्रदान किया।
- इस अभ्यास, नौसेना की अंतर-संचालन क्षमता को सफलतापूर्वक मजबूती प्रदान करता है। इसने भारत और ओमान के बीच आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा दिया तथा हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।